राज्य आ धर्म

नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण
पुस्तिका श्रृंखला
१

संवैधानिक संवाद केन्द्र
CENTRE FOR CONSTITUTIONAL DIALOGUE

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

पहिलो संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक संवाद केन्द्र

सर्वाधिकार सुरक्षित छ । सामग्रीको स्रोतका रूपमा संवैधानिक संवाद केन्द्रप्रति साभार व्यक्त गरी गैरव्यावसायिक प्रयोजनका लागि यस पुस्तिकाका अंशहरू पुनःप्रकाशन र/वा अनुवाद गर्न सकिनेछ । ती पुनःप्रकाशन र/वा अनुवादको एक प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

साजसज्जा तथा मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ ।

थप जानकारी वा यस पुस्तिकाका लागि निम्नलिखित ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहोला

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तेस्रो तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ वानेश्वर, काठमाडौँ

टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५९९३

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

राज्य आ धर्म

१

राज्य आ धर्म १
परिचय १
महत्व २
नेपाल मे राज्य आ धर्म के बीच के सम्बन्ध ३
संविधानसभा खातिर बातविचार आ बहस के विषय ४
संवैधानिक विकल्प ६

राज्य आ धर्म

नेपाल में सब जनता लोग के सहभागी करावेके हिसाब से नया संविधान बनावेके काम सुरू हो रहल बा। एह दौरान में आजु के स्थिति में धर्म आ राज्य के बीच आपसी सम्बन्ध कइसन होएके चाँही एह बात पर पूरा देशभर में चर्चा आ बतकही सुरू हो गइल बा। नेपाल सामाजिक आ सांस्कृतिक विविधता से भरल देश बा आ एतहाँ बहुत प्रकार के धर्म आ जात के लोग रह रहल बाटे। एह स्थिति में अइसन राजनीतिक तौरतरिका जौन धर्मनिरपेक्ष नइखे आ कौनो खास धर्म के देश के मूल धर्म मानता, त अइसन राज्य के भेदभाव से भरल राज्य कहल जाई। अइसन व्यवस्था के कारण देश के भीतर रहल आउर धर्म आ संस्कृति के उपेक्षा होत गइल सम्भव बा आ ओइसन समुदायन के मानव अधिकार के भी उल्लंघन होत रहल सम्भव बा।

एह लेख में नेपाल खातिर धर्मनिरपेक्षता काहे प्रसांगिक आ जरूरी बा आ नया संविधान बनेके दौरान संविधान सभा में एह विषय में कइसन प्रकार से बहस करेके चाही एह विषय पर चर्चा कइल गइल बा।

परिचय

कौनो भी धर्मनिरपेक्ष देश राज्य के कौनो भी काम कारवाई में धर्म के राजनैतिक भूमिका के कहियो स्वीकार ना करेला। ई देश में रहल सब धर्म के साथ बराबर ढंग से व्यवहार करेला आ सब के आदर करेला। ई कौनो धर्म के लोग के साथ भेदभाव ना करेके दृष्टिकोण राखेला। जवन देश धर्मनिरपेक्ष ना होखे ऊ कौनो एगो धर्म के राज्यधर्म के रूप में मान्यता देवेला आ ओही धर्म के देश के राजनीतिक जीवन में बहुत प्रभावकारी बनावेला। अइसन देश के धार्मिक राज्य कहल जाला। धार्मिक राज्य में धार्मिक नेता लोग देश के राजनीति में निर्देशन देवेके काम करेलन। राज्यव्यवस्था राजनीतिक उद्देश्य पावे खातिर राज्यधर्मद्वारा कायम कइल अनुशासन आ मूल्यमान्यता के अनुसरण करेला। कुछ धर्म में जातजाति के बीच छोट-बड़ के भेदभाव से भरल भेदभाव करेके भी प्रचलन रहेला। अइसन देश में बाँकी धर्म के कौनो इज्जत ना रहेला आ बाँकी धर्म सब के राज्य के तरफ से दबावल जाला। धार्मिक राज्य में शक्ति के स्रोत इश्वर के मानल जाला, जनता के ना। एह नाते से सरकार भगवान आ धर्म के प्रति उत्तरदायी होला, ना कि जनता के प्रति।

एह नाता से धार्मिक राज्य भेदभाव से भरल राज्य हो जाला। एह समाज में कौनो खास लोग के आस्था आ विश्वास के मात्र महत्व देहल जाला। अइसन राज्य ना मानव अधिकार के विश्वव्यापी सिद्धान्त से बान्हल रहेला, ना एकरा के कौनो प्रकार से सुरक्षा देवेके काम करेला।

एकरा उल्टा, एगो धर्म निरपेक्ष देश ना त कौनो खास धर्म के 'राज्यधर्म' बनावेके कोशिस करेला, ना त कौनो खास धर्म के एकलौटी आगे बढ़ावेके कोशिस करेला। अइसन राज्य के काम-कारवाई में धार्मिक नियम कानून से कौनो मतलब ना रहेला। देश के संविधान कौनो भी धर्म से सम्बन्धित ना मानल जाला। एगो धर्मनिरपेक्ष देश ना त कौनो धर्म के प्रचार-प्रसार करेला, ना त कौनो धर्म पर अतिक्रमण करेला। अइसन राज्य के पहचान धर्म से अलग रूप में स्थापित हो ला। ई पहचान देश के नागरिक संस्कृति के पहचान होला। अइसन राज्य में कानून आ संस्था सब नागरिक मूल्य के आधार पर बनल रहेला। धर्मनिरपेक्ष देश में कौनो भी नागरिक के अपना खुशीराजी से अपने धार्मिक आस्था के अनुसार चलेके अधिकार मिलल रहेला। ई सब नागरिक के धार्मिक स्वतन्त्रता मे विश्वास दिलावेके काम करेला आ व्यवहारो में ई धार्मिक सहिष्णुता बा कहके लोग के एहसास करावेला। अइसन नीति से कौनो भी धर्म मानेवाला लोग समानता के साथ उपर उठ सकेले। ई सब नागरिक के समानता के आधार पर इज्जत देला। एकरे वजह से सब जनता आपन-अपन आस्था, विश्वास आ प्रचलित रिवाज के पालन करे खातिर स्वतन्त्र होला। एह से धर्मनिरपेक्ष देश धर्म के नाश करेवाला देश ह कि कहल शंको हो सकेला, बाँकिर ओइसन बात नइखे। सही कहल जाए त धर्म निरपेक्ष राज्य केवल सरकार के काम कारवाई में धर्म के भूमिका के विरोध करेला। काहे कि धर्म हरेक लोग के व्यक्तिगत आस्था के विषय ह। एह के सब के अधिकार आ स्वतन्त्रता देवेके आधार ना वनावेके चाही।

महत्व

धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के अइसन मान्यता कि संगठित धर्म आ संगठित राजनैतिक शक्ति अलग अलग होखेके चाहीं। एह दुनू में पहिल्की बतिया के स्पष्ट कर लीं - धर्म आ राज्य के अलग-अलग करेके मतलब विवेक आ न्याय पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के नीव तैयार कइल ह। अइसन नीव तैयार कके ही सब किसिम के धर्म मानेवाला लोगन के बीच समानता के आधार पर राज्य के व्यवहार रह सकी। अइसने हालत में सब लोग संविधान अर्न्तगत बराबर अधिकार के हकदार आ सरकारी तरफ से बराबर संरक्षण प्राप्त कर सकेले। दोसर पक्ष ह, धर्मनिरपेक्षता हर प्रकार के धर्म आ आस्था के आगाड़ि बढावत लोग के बीच सह-अस्तित्व के विकास करेला। एकर मतलब ई होई कि धर्म आ आस्था के आधार पर केहु के विरुद्ध भेदभाव ना कइल जाई। एक तरह के धर्म मानेवाला लोग दोसर तरह के धर्म मानेवाला लोगन के साथ

बुरा ढंग से बरताव ना कई सकेलें । ई सिद्धान्त एगो दोसरो बात के सावित करेला : जइसे कि राजनीति में धर्म के कौनो खास मतलब ना होखो ।

नेपाल में राज्य आ धर्म के बीच के सम्बन्ध

नेपाल के जब से स्थापना भइल तबे से धर्म एगो महत्व से भरल शासकीय विषय रहत आइल बा । नेपाल के नाम चलल राजा लोग : जइसे लिच्छवी (३००-७०० ए. डी.) मल्ल (११००-१८६८) आ शाह (१५५९-१९५०) राजा लोग के हिन्दू धर्म के राजकाज में विशेष महत्व देहला से भी ई बात स्पष्ट बा । एह अर्थ में, राज्य संचालन आ राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के करीब करीब समुचे काम में हिन्दू धर्म के कौनौ ना कौनो प्रभाव हमेशा रहत रहे । नेपाल राज्य के एकीकरण भइले के करिब सौ वर्ष के बाद १९१० में नेपाल के ओह समय के प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा के बेलायत आ फ्रान्स के भ्रमण कइला के बाद ओह दुनू देशन के रिवाज के तरह कानून के राज नेपाल में भी लागू करे खातिर बनावल गइल मुलुकी ऐन भी धर्म के प्रभाव से अलग ना रहल । भेदभाव हटावे के उद्देश्य से लागू कइल गइल ई कानून भी हिन्दू वार्णाश्रम पर टिकल जाति व्यवस्था के कानूनी आधार आउरो मजबूत बनावेके काम कइलक । ऐकरा बाद के वर्ष में नेपाल के बहुधार्मिक आ बहुसांस्कृतिक समाज में एकर भेदभावपूर्ण प्रभाव कायमे रहल । २००७ साल में भइल राजनीतिक क्रान्ति के बादो ई प्रवृत्ति जइसन के तइसने रहल । शासन प्रणाली में कथित बड़का जातवाला लोगन के प्रभाव के कारण से अइसन भइल रहल । एही तरह से हिन्दू देवीदेवता आ मन्दिर से सम्बन्धित सम्पत्ति आ गुठी के प्रशासन में राज्य के भूमिका के वजह से भी ई स्थिति कायम रहल ।

२०१९ साल में लागू भइल संविधान द्वारा नेपाल के हिन्दूराज्य के रूप में घोषणा भइल । २०४७ साल में लेआवल संविधान द्वारा हिन्दू राजा के संवैधानिक भूमिका के मान्यता देवेके अलावा नेपाल में हिन्दू मान्यता पर आधारित कई तरह के रिवाज अभीन कुछ साल पहिले तक कायम रहल । लोकतान्त्रिकीकरण के एह युग में नेपाल के कानूनी व्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष बनावे खातिर भा सरकार आ राज्यधर्म के बीच के नाता के न्यूनीकरण करेके तरफ कौनो विशेष प्रयास ना भइल देखल गइल ।

सही कहल जाए त २०४७ के संधिवान में भी प्रजातन्त्र के बहुत विशेषता रहल । बाँकिर ई नेपाल के बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य, सार्वभौमिकता का साथे संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य के रूप में भी परिभाषित कइले रहल । एकर धारा ४ में प्रयोग भइल 'हिन्दू' शब्द के प्रयोग एह धारा में भइल 'बहुजातीय' आ 'बहुभाषिक' शब्द से आ धारा १९ में नेपाली नागरिक सब के दिहल गइल धर्म सम्बन्धी अधिकार के एकेसाथ व्याख्या करेके चाहत

रहे। बाँकिर देश के शासन चलावेवाला लोग के तरफ से जनजाति आ अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायन के अधिकार देवेके तरफ कौनो साहस ना देखावल गइल। छुवाछुत आ भेदभाव के शिकार भइल लोगन के अधिकार दिलावे के तरफ कौनो खास काम ना भइल। एह सब से गैर हिन्दू सांस्कृतिक समुदायन का साथे कथित छोट जात के हिन्दू लोग जे विभेद के शिकार रहलें, राज्य के मूलधार से आउर दूर होत जाए लगलें। सरकार टेलिभिजन आ रेडियो से धार्मिक कार्यक्रम चलावत रहल। एह तरह से ना हिन्दू त्यौहार आ विशेष दिन पर छुट्टी देवे में कौनो कमी आइल, ना त धर्मपरिवर्तन विरोधी सोच में ही बदलाव आइल। सरकार के कर्मचारी लोग के हिन्दू त्यौहार दशहरा मनावे खातिर दशहरा भत्ता अबहीन तक लागू बा। बाँकिर दोसर धर्म मानेवाला लोगन के ई सुविधा ना मिलल बा। हिन्दू धर्म आ अनुष्ठान के सहयोगी होखेवाला कानून आ हिन्दू के धार्मिक स्थान सब के संरक्षण करेवाला कानून (जइसे गुठी संस्थान ऐन) अबहीन तक कायमे बा। कई तरह के धार्मिक काम खातिर अवहीन तक राजश्व खर्च कइल जाला।

एह सब तरह के भेदभाव के अलावा नेपाल के कानून प्रणाली में हिन्दू धर्म से प्रभावित सिद्धान्त सब के गम्भीर प्रभाव अबहीन तक बरकरारे बा। व्यक्ति आ परिवार सब से सम्बन्धित बहुत सारा कानून, पुरुष प्रधान हिन्दू मूल्य आ मान्यता पर आधारित बा। आधुनिक नेपाल के एगो कानून जइसे कि साहु आ आसामी के सम्बन्ध, व्यापार के तरिका, सूद, बन्हकी, धरौटी आ अदालति कार्यविधि सब हिन्दू कानून के बहुत पक्ष के स्वीकार कइले बा। एह तरह से हक-हिस्सा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, परिवार नियोजन, तालाक, मदिरापान, तास, जुवा जइसन विषयन के भी धर्म निरपेक्ष आँख से देखल जाएके चाहीं। एह तरह से कानून के नया क्षेत्र जइसे, गर्भपतन, भ्रूण से सम्बन्धित स्टिम सेल के अनुसन्धान, समलिङ्गी विवाह, यौन शिक्षा जइसन विषय एह सब के सामाजिक मुद्दा के रूप में अध्ययन कइल जाएके चाहीं आ धार्मिक क्षेत्र सब से दुर राखल जाएके चाहीं। एह नाते से कई आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक के धार्मिक अधिकार के क्षेत्र में काम करेवाला संस्था सब, दलित आ महिला लोग का ओर से २०४७ के संविधान समावेशी ना रहल आ ई धार्मिक अधिकार आ समान नागरिकता के अवधारणा सहित एह लोगन के संवैधानिक अधिकार के संरक्षण ना कइले रहल कहके बहुत शिकायत मिलेला।

संविधानसभा खातिर बातविचार आ बहस के विषय

२०४७ साल के संविधान के जगह लागू भइल अन्तरिम संविधान २०६३ नेपाल के एगो 'धर्म निरपेक्ष, समावेशी आ पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य' के रूप में परिभाषित कइले बा। ई संविधान नेपाल के एगो बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतावाला देश के रूप में स्वीकार

कइले बा । ई राज्य के 'हिन्दू' पहचान के अलावा संविधान से हिन्दू राजतन्त्र के भी खतम कर देहले बा । हालाकि नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइल अपने-आप में महत्वपूर्ण बा बाँकिर घोषणा कइले भर से एकर उद्देश्य पुरा ना होखे सकी । एकरे खातिर देश के संविधान आ कानून में परिवर्तन कइला के अलावा सरकार के बहुत तरह के नीति में भी परिवर्तन कइल बहुत जरुरी बा ।

धर्मनिरपेक्षता के मतलब धर्मविरोधी प्रावधान कबो ना ह । ई खाली राज्य आ धर्म के अलग-अलग राखेके चाहेला । ई राज्य आ धर्म दुनू के अलग-अलग विषय के रूप में स्वीकार करेला । धर्मनिरपेक्षता सब सामाजिक समूह आ लोग के प्रजातान्त्रिक अधिकार में बढ़ोत्तरी करावेला आ बराबरी आ सामाजिक न्याय के बढावे में भी मद्दत करेला । एह नाते से नया संविधान बनावे खातिर संविधान सभा के कइसन प्रकार के धर्मनिरपेक्षता अपनावके चाहीं ई बात पर बहुत गहिराई में छलफल करेके चाहीं । धर्मनिरपेक्षता के संस्थागत करे खातिर 'मार्गचित्र' भी संविधान सभा के तैयार करेके चाहीं । एह प्रकार से ही नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में रूपान्तरण स्पष्ट होखे सकी ।

एह सम्बन्ध में बातविचार खातिर कुछ बुँदा नीचे दिहल गइल बा :

» धर्म आ राज्य के एक-दोसरे से अलग करेके,

» धार्मिक स्वतन्त्रता के संरक्षण (धर्म आ आस्था सम्बन्धी अधिकार, स्वेच्छा से धर्म बदलेके स्वतन्त्रता, अलग-अलग धर्म मानेवाला लोग के संरक्षण, कौनो धार्मिक समूहन के विरोध में विभेद के अन्त, सब प्रकार के धार्मिक संघ-संस्था के बीच समानता के सुनिश्चितता, कानून के समान संरक्षण, आपन-आपन धर्म, आस्था आ धार्मिक काम के उचित ढंग से पालन आ अभ्यास करे खातिर प्राप्त अधिकार),

» हर भाषिक, सांस्कृतिक आ धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के विरोध में (धर्म से सम्बन्धित) हो सकेवाला भेदभाव के विषय,

» हर धार्मिक संघ-संस्था के आपन इच्छा के मुताविक अपन स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख सकेके आ धार्मिक महत्व के मठ, मन्दिर के निर्माण, संरक्षण आ व्यवस्थापन कर सकेके विषय,

» राज्य के भीतर प्रत्यक्ष भा अप्रत्यक्ष रूप में कौनो खास धर्म के आगे बढावेवाला कानून सम्बन्धी विषय,

» राज्य द्वारा मुल पुरोहित भा अन्य पुरोहित नियुक्त करेवाला परम्परा के विषय,

» देश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक आ सांस्कृतिक सम्पदा के मरम्मत संभार खातिर राज्य द्वारा धार्मिक संघ-संस्था के राजस्व से दिहल गइल रकम धर्म के प्रचार प्रसार के काम में प्रयोग ना हो सकेवाला विषय,
» धार्मिक संस्था भा आस्था से सम्बन्धित समूह लोगन के विगत में दिहल गइल विशेष अधिकार के पुनर्मूल्यांकन के विषय,
» धर्म आ आस्था के आधार पर संचालन हो रहल स्कूल आ पाठशाला के नया ढाँचा कइसन होएके चाही कहल विषय,
» कौनो खास धर्म से सम्बन्धित ना होके सब प्रकार के धर्म के बारे में बालबालिका सब के शिक्षा देवेके चाही कि ना देवेके चाही कहल विषय,
» ऐतिहासिक तथ्य के रूप में धर्म के बारे में बढ़ावा देवेवाला विषय भा कौनो एक धर्म दोसर धर्म से बड़ा बा कहिके सिखावेवाला तौरतरिका के अन्त करेवाला विषय,
» राज्य के तरफ से कौन-कौन आधार पर धर्म से सम्बन्धित सार्वजनिक छुट्टी दिहल जाय एह सम्बन्ध में अपनाावल जाएवाला सिद्धान्त के विषय,
» राज्य के तरफ से सचालन होएवाला रेडियो भा टेलिभिजन में प्रसारण होएवाला धार्मिक कार्यक्रम के बारे में पुनरावलोकन आ एह सम्बन्ध में सब धर्म के बराबर सुविधा दिहल जायवाला विषय ।
» कइसन प्रकार के धार्मिक कामकाज पर मुनासिब रोक लगावल जाए भा दोसरे के धर्म के बारे में कड़ा आलोचना भा समालोचना के विषय में संविधान के दृष्टिकोण के विषय,
» धर्म परिवर्तन से सम्बन्धित कानून के मूल्यांकन के विषय, आ
» वर्तमान कानून प्रणाली के आउर धर्मनिरपेक्ष बनावे खातिर आ सरकार के हमेशा सहयोग करे खातिर कौनो एगो अल्पसंख्यक धार्मिक नेता (धर्माधिकारी) के नेतृत्व में एगो धर्मरिपेक्षता सम्बर्द्धन आयोग बनावेवाला विषय ।

संवैधानिक विकल्प

धर्मनिरपेक्षता के सम्बन्ध में संविधान सभा समक्ष कई तरह के विकल्प हो सकेला । ऐतिहासिक रूप से कहल जाए त धर्मनिरपेक्षता के संस्थागत करे खातरि धार्मिक स्वतन्त्रता देवेके, कौनो प्रकार के राज्यधर्म कायम ना होखे देवेके, कौनो धर्मविशेष के फायदा खातिर राजस्व से रकम

देवेके काम बन्द करेके, देश के कानून के धार्मिक नियन्त्रण से स्वतन्त्र आ शैक्षिक प्रणाली के मुक्त बनावेके, धर्म परिवर्तन के अधिकार प्रति सहनशील आ कौनो भी धर्म मानेवाला लोग के सरकार बनावेके अवसर देवेवाला बात के भी बहुत महत्व दिहल जाएके चाहीं ।

कुछ विकल्पन के एह रूप में भी प्रस्तुत कइल जा सकेला :

विकल्प	फाइदा	चुनौती
१. धर्म आ राज्य के बीच विभाजन के डँरीर होएके चाँही कहल मान्यता ।	» ई धारणा बहुत स्पष्ट आ लागु करे में आसान बा । » सब के खातिर धार्मिक स्वतन्त्रता । » धार्मिक संघ, संस्था सरकारी दबाव से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र । » राज्य कौनो तरह के धार्मिक निकाय के प्रभाव भा व्याख्या से पूर्ण रूप से मुक्त । » धार्मिक अभ्यास कौनो प्रकार के रोकटोक से मुक्त ।	» राष्ट्र निर्माण खातिर राज्य सब प्रकार के धर्म से पावेवाला महत्वपूर्ण प्रेरणा (राष्ट्रप्रेम, सामाजिक सद्भाव, सार्वजनिक नैतिकता, अच्छा उद्देश्य इत्यादि) से बंचित । » महिला के प्रति भेदभाव आ कई तरह के सामाजिक समूह सब के प्रति अमर्यादित व्यवहार जइसन हानीकारक बाँकिर विभिन्न धर्म सब से संरक्षित क्रियाकलाप के नियन्त्रण करे में समस्या ।
२. धर्म के बारे में राज्य के तटस्थ होएके चाहीं कहल मान्यता ।	» धर्म एगो व्यक्तिगत विषय ह, एह बात के स्वीकारोक्ति । » राज्य के तटस्थ दृष्टिकोण के नाते राज्य के बारे में कौनो धार्मिक ओरहन ना भइल एकर सब से मजबूत पक्ष । » धार्मिक स्वतन्त्रता । » अपना खुशी-राजी से धर्म मानेके अधिकार ।	» सामाजिक रूपान्तरण खातिर प्रतिबद्ध समाज खातिर तटस्थ दृष्टिकोण चुनौती से भरल बा । » सामाजिक असमानता हटावल बहुत कठिन बा । » एकरे खातिर रणनीति बनावल जरुरी बा आ अइसन रणनीति धार्मिक संस्था के सहयोग से ही बनावेके परेलां । » सब नागरिक के समान संरक्षण देवे के राज्य के कर्तव्य ह ।

३. सब धर्म के बराबर संरक्षण होएके चाहीं कहल मान्यता	» राज्य ना कौनो धर्म के स्थापित करेला, ना त कौनो धर्म के बहिष्कारे करेला । » धार्मिक स्वतन्त्रता » सब धर्म के समान संरक्षण » मानव समाज में धर्म के सकारात्मक भूमिका के स्वीकारोक्ति, » अइसन धर्म निरपेक्षता से भेदभावपूर्ण धार्मिक काम कारवाई भा सार्वजनिक नीति विपरीत क्रियाकलाप के विरुद्ध जनता सब के संरक्षण मिलेला	» सभी धर्म के बराबर संरक्षण कइल कठिन काम होखेला । » राज्य के धर्म सम्बन्धी विषय में ज्यादा संलग्न भइला के नाते राज्य के धार्मिक निर्णय लेवेके खतरा में वृद्धि के संभावना । » ई प्रवृत्ति धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त के विपरीत हो सकेला ।

सही कहल जाए त धर्मनिरपेक्षता के बहुत प्रकार के नमूना हो सकेला । नेपाल में धर्मनिरपेक्षता खातिर संविधान निर्माता सब के बीच में कौन नमुना कौन रूप में अपनावल जाए ई विषय चुने खातिर बहुत बड़ा अवसर बा । अइसन हालत में खास कके राष्ट्र के रूप में नेपाल के विशिष्टता के बारे में निश्चित रूप से ध्यान में राखल जाएके चाहीं ।

पुस्तिका-शृंखला के सम्बन्ध में

संविधान सभा के सदस्य लोग आ इच्छुक सर्वसाधारण के संविधान निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी करावले एह पुस्तिका-शृङ्खला के उद्देश्य ह । एह प्रकाशन सब के संवैधानिक परिणाम के बारे में कौनो किसिम से पूर्व अनुमान करेवाला अवधारणपत्र भा प्रस्ताव भा मनसाय नइखे । ई शृङ्खला संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के 'नेपाल में सहभागितामूलक संविधान निर्माण खातिर सहयोग (एसपीसीबीएन) परियोजना' के समन्वय में नेपाली आ अन्तरराष्ट्रिय संविधानविद् लोग के सामूहिक प्रयास के प्रतिफल ह ।

एह पुस्तिका सब के आउर परिस्कृत बनावे वास्ते प्रतिक्रिया आ टिप्पणी खातिर विशेष अनुरोध कइल जा रहल बा । बेसी से बेसी सुसूचित, प्रतिवद्ध आ रचनात्मक बतकही के प्रोत्साहित करे में एह प्रकाशन सब के सफल भइले पर अपेक्षित उद्देश्य हासिल हो सकेला । प्राप्त टिप्पणी सब के आधार पर एह पुस्तिका सब के नया आ अतिरिक्त संस्करण तइयार कइल जा सकेला ।

एह शृङ्खला के नेपाल के कुछ प्रमुख राष्ट्रभाषा में अनुवाद करेके क्रम में उच्च गुणस्तर कायम राखत सम्बन्धित भाषा के बहुसंख्यक मातृभाषी लोगन के समझ में आवेवाला सही शब्दावली के प्रयोग करेके पूरा प्रयास कइल गइल बा । शब्दावली के उपयुक्त आ सही प्रयोग के बारे में विभिन्न भाषिक समुदायन के बीच में भविष्य मे बतकही आ बहस होएके अपेक्षा कइल जा सकेला । संवैधानिक संवाद केन्द्र के उद्देश्य अइसन बहस के कौनो प्रकार से ओझल कइल ना होके ओह भाषा सब के भी समावेश कके एह प्रयास मे समावेशीकरण आ पहुँच के अधिकतम वृद्धि कइल ह ।

ई पुस्तिका देश में संविधान निर्माण से सान्दर्भिक विषयवस्तु के सम्बन्ध में संवैधानिक संवाद केन्द्रद्वारा तइयार कइल जा रहल शृङ्खलावद्ध पाठ्यसामग्रियन के एगो अंश ह ।

सभासद लोग के साथे एह विषयवस्तु से मतलब राखेवाला सर्वसाधारण लोग के प्रमुख संवैधानिक अवधारणा आ मुद्दा सब में सरिक करावल एह शृङ्खलावद्ध प्रकाशन के उद्देश्य ह । शृखला अन्तर्गत के हर पुस्तिका नेपाल मे बोलल जाएवाला प्रमुख भाषा सब (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, मगर, तामाङ, नेवार) आ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध बा । एह पाठ्यसामग्रियन के श्रब्य संस्करण (कैसेट, सिडी) भी उपलव्ध भइला के अलावा एह सब सामग्रियन के ऑनलाइन पर भी राखल गइल बा ।

पहिल चरण में एह प्रकाशन शृङ्खला में समीटल जाएवाला विषयवस्तु एह प्रकार बा : राज्य आ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधान में मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार, अल्पसंख्यक लोग के अधिकार, सरकार के प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण आ सहभागीतामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तेस्रो तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५९९३
ई-मेल : **info@ccd.org.np**
वेबसाइट : **www.ccd.org.np**